न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
70 / 2023	04 / 07 / 2023	15 / 09 / 2025

1. शंकरलाल पुत्र केदारलाल जाति मीना निवासी नारायणपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज
2. शोभागमल पुत्र केदारलाल जाति मीना निवासी नारायणपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०

वादीगण

बनाम

1. जानकीबाई पत्नि स्व. केदारलाल जाति मीना निवासी नारायणपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज
2. बद्रीबाई उर्फ केदारीबाई पुत्री जगन्नाथ पत्नि रामप्रताप जाति मीना निवासी नारायणपुरा हाल मुकाम विनायका पोस्ट विनायका तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
3. सुरजाबाई पुत्री जगन्नाथ पत्नि प्रेमचन्द जाति मीना निवासी नारायणपुरा हाल मुकाम लुहावद पोस्ट लुहावद तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
4. महावीर पुत्र बद्री जाति मीना निवासी नारायणपुरा हाल मुकाम डोरली पोस्ट विनायका तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
5. हेमराज पुत्र बद्री जाति मीना निवासी नारायणपुरा हाले मुकाम डोरली पोस्ट विनायका तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
6. रामप्रसाद पुत्र बिरधीलाल जाति मीना निवासी नारायणपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
7. कस्तुरीबाई पुत्री बिरधीलाल जाति मीना निवासी नारायणपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
8. सीताबाई पुत्री बिरधीलाल पत्नि हेमराज जाति मीना निवासी बोरदा पोस्ट बोरदा तहसील मांगरोल जिला बांरा राज०
9. चन्द्रकला पत्नि नन्दकिशोर जाति मीना जाति मीना निवासी नारायणपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
10. महावीर पुत्र नन्दकिशोर जाति मीना जाति मीना निवासी नारायणपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०

प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 88,89,91,92,188 आर0टी0एक्ट

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पेश कर निवेदन किया कि वाद से सम्बन्धित खसरा संख्या 10 रकबा 0.41 हैक्टेयर बरानी तृतीय, खसरा संख्या 113 रकबा 0.25 हैक्टेयर बरानी तृतीय, खसरा संख्या 13 रकबा 0.52 हैक्टेयर बारानी, खसरा संख्या 180 रकबा 0.03 हैक्टेयर माल दितीय, खसरा संख्या 183 रकबा 0.12 हैक्टेयर माल दितीय, खसरा संख्या 252 रकबा 0.38 हैक्टेयर बारानी तृतीय, खसरा संख्या 253 रकबा 2. 38 हैक्टेयर बारानी तृतीय, खसरा संख्या 267 रकबा 0.28 हैक्टेयर बारानी तृतीय, खसरा संख्या 269 रकबा 0.49 हैक्टेयर बारानी तृतीय, खसरा संख्या 293 रकबा 2. 40 हैक्टेयर बारानी तृतीय, खसरा संख्या 334 रकबा 0.16 हैक्टेयर बारानी दितीय, खसरा संख्या 335 रकबा 0.18 हैक्टेयर बारानी दितीय, खसरा, संख्या 338 रकबा 0. 75 हैक्टेयर बारानी दितीय, खसरा संख्या 339 रकबा 0.98 हैक्टेयर बारानी दितीय, खसरा संख्या 361 रकबा 0.39 हैक्टेयर बारानी तृतीय, खसरा संख्या 4 रकबा 0.35 हैक्टेयर, कुल किता 16 कुल रकबा 10.07 हैक्टेयर ग्राम नारायणपुरा पटवार हल्का

मौजेरा भू अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र गैंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० के माल मे स्थित है। उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता जगन्नाथ व बिरधीलाल को विरासत में प्राप्त हुई। जिसमे जगन्नाथ के वारिसान का 1/2 हिस्सा व बिरधीलाल के वारिसानो का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड मे अकंन है। जिसे वाद पत्र में आगे विवादित आराजी सम्बोधित किया गया है। ग्राम डोरली की कृषि आराजी कुल किता 6 कुल रकबा 5.65 हैक्टेयर, भूमि पर प्रतिवादी क्रम 04 व 05 के पिता बद्रीलाल पुत्र जगन्नाथ रिश्ते में अपनी भुआजी कान्हीबाई के गोद पुत्र चले गये थे तब से प्रतिवादीगण 04 व 05 के पिता बद्रीलाल आज से 50 वर्ष पूर्व अपने पिता केदारलाल की सहमति से गोद पुत्र ग्राम डोरली मे बाल्यकाल से ही चले गये थे ग्राम डोरली की कृषि आराजी बद्रीलाल के हिस्से मे व ग्राम नारायणपुरा की कृषि आराजी में वादीगण के पिता केदारलाल का हिस्सा था इसी हिसाब से वादीगण के पिता व वादीगण कृषि काश्त ग्राम नारायणपुरा की आराजी में करते चले आ रहे है। और ग्राम डोरली की कृषि आराजी मे प्रतिवादी क्रम 04 व 05 व उसके पिता कृषि काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण 04 व 05 के पिता द्वारा ग्राम नारायणपुरा की कृषि आराजी में अपना हिस्सा प्रेम स अपने भाई केदारलाल को सुपुर्द कर दिया था। अब बद्रीलाल व उसके वारिसान प्रतिवादी क्रम 04 व 05 का ग्राम नारायणपुरा की भूमि मे कोई हिस्सा व कब्जा काश्त नही है। वादीगण का उक्त विवादित्त भूमि पर 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसी आधार पर वादीगण प्रतिवादी क्रम 04 व 05 के हिस्से की भूमि की घोषणा करवाने का विधिक अधिकार प्राप्त है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण स्व. श्री जगन्नाथ जी के पुत्र, पोत्र एवं प्रपोत्र है विवादित भूमि जगन्नाथ जी के स्वर्गवास के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादीगण उनके विधिक उत्तराधिकारी होने से प्राप्त हुई है। प्रतिवादीक्रम 01, 02 व 03 का नाम राजस्व अभिलेख मे अकिंत कर दिया है, जो कानूनन अवैध है और ग्राम नारायणपुरा की कृषि आराजी से इनका नाम विलोपित किया जावें। ओर उनके स्थान पर वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे अकिंत किया जावें। क्योकि उक्त भूमि पर प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 05 का कब्जा काश्त नही है। राजस्व भूमि सम्बन्धी खातेदार की अधिकारो की घोषणा एवं निषेधाज्ञा सम्बन्धी अनुतोष प्रदान करने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है इसलिये माननीय न्यायालय के समक्ष जगन्नाथ के स्वर्गवास के उपरान्त वादीगण उनकी मात्र नेसर्गिक विधिक उत्तराधिकारी होने से खातेदारी की घोषणा करवाने का विधिक अधिकारी है। तदर्थ श्रीमान की सेवा मे वाद प्रस्तुत है। वादीगण तथा प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 3 की जाति मीणा (अनुसुचित जनजाति) होने से पक्षकारो पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते है व पक्षकार प्राचीन शास्त्रीय हिन्दु विधि से शासित होते है, जिसके अधीन पति की सम्पत्ति विधवा पत्नि एवं पुत्री को केवल मात्र आजीवन भरण पोषण हेतु उपयोग–उपभोग का ही सिमित अधिकार प्राप्त होता है तथा पति की सम्पत्ति को अन्यत्र संक्रमित अथवा अन्तरित करने का अधिकार प्राप्त नही होते है। इसी प्रकार स्व. जगन्नाथ के खाते की विवादित भूमि मे विधवा पत्नि व पुत्रीया प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 03 को केवल मात्र स्वयं का आजीवन भरण पोषण हेतु उपयोग एवं उपभोग का सिमित अधिकार प्राप्त है तथा उक्त भूमि को अन्यत्र संक्रमित अथवा व्यनिंत आदि करने का अधिकार प्राप्त नही है। इससे स्पष्ट परिलक्षित है कि राजस्व अभिलेख मे प्रतिवादी, क्रम 01 लगायत 03 के नाम का अकंन अवैध अनाधिकृत एवं वादीगणो के हितो के विरूद्ध प्रभावशुन्य घोषित किये जाने योग्य है। विवादित भूमि मे स्व. जगन्नाथ के हिस्से की भूमि ग्राम नारायणपुरा वादीगण के ही कब्जे व वास्तविक नियन्त्रण में है विवादित भूमि से वादीगण को विरासत से वचिंत कर अन्य संक्रमित अथवा व्यनित करने का प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 05 को कोई अधिकार प्राप्त नही है। किन्तु राजस्व अभिलेख में स्वयं के अकंन का अनुचित लाभ उठाकर प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 05 वादीगण का विवादित भूमि उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे है जिसका की उन्हें कोई अधिकार नही हे जबकी वादीगण को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 05 को जरिये स्थायी निषेद्याज्ञा निषेधित

करवायें कि वह उक्त भूमि स्व. श्री जगन्नाथ के हिस्से की भूमि पर वादीगण को शांतिपूर्ण काश्त करने मे किसी प्रकार की बाधा व व्यवधान उत्पन्न नही करें तथा अन्यत्र संक्रमित अथवा व्यनित आदि नहीं करें इसके अतिरिक्त वादीगण के पास अन्तः कोई समीचीन एवं प्रभावी अनुतोष उपलब्ध नही है। तदर्थ वाद प्रस्तुत है। प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 03 उक्त विवादित भूमि ग्राम नारायणपुरा खसरा संख्या 10 रकबा 0.41 हैक्टेयर बरानी तृतीय, खसरा संख्या 113 रकबा 0.25 हैक्टेयर बरानी तृतीय, खसरा संख्या 13 रकबा 0.52 हैक्टेयर बारानी, खरारा रांख्या 180 रकवा 0. 03 हैक्टेयर माल दितीय, खसरा संख्या 183 रकबा 0.12 हैक्टेयर माल दितीय, खसरा संख्या 252 रकबा 0.38 हैक्टेयर बारानी तृतीय, खसरा संख्या 253 रकवा 2.38 हैक्टेयर बारानी तृतीय, खसरा संख्या 267 रकबा 0.28 हैक्टेयर बारानी तृतीय, खसरा संख्या 269 रकबा 0. 49 हैक्टेयर बारानी तृतीय, खसरा रांख्या 293 रकवा 2.40 हैक्टेयर बारानी तृतीय, खसरा संख्या 334 रकबा 0.16 हैक्टेयर बारानी दितीय, खसरा संख्या 335 रकबा 0.18 हैक्टेयर बारानी दितीय, खसरा संख्या 338 रकबा 0.75 हैक्टेयर बारानी दितीय, खसरा संख्या 339 रकबा 0.98 हैक्टेयर बारानी दितीय, खसरा संख्या 361 रकबा 0.39 हैक्टेयर बारानी तृतीय, खसरा संख्या 4 रकबा 0.35 हैक्टेयर, कुल किता 16 कुल रकबा 10.07 हैक्टेयर मे संयुक्त खातेदार है इसलिये वादीगण उक्त भूमि पर कृषि काश्त करते चले आ रहै है प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 05 उक्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नही है। प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 03 का खाते से नाम विलोपित किया जावें व प्रतिवादी क्रम 04 लगायत 05 अपने खातेदारी अधिकार कब्जे के अभाव में समाप्त हो गये है उनके स्थान पर वादीगण को कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है राजस्व रिकॉर्ड मे उनके स्थान पर वादीगण का नाम दर्ज अकंन किया जावें। उक्त विवादित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते की है प्रतिवादी क्रम 06 लगायत 10 का राजस्व रिकॉर्ड मे 1/2 हिस्सा दर्ज अकंन है क्योकि संयुक्त खाते की भूमि हैं प्रतिवादी क्रम 06 लगायत 10 की बहिन प्रेमबाई पुत्री बिरधा का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे 1/10 हिस्सा दर्ज अकिंत लेकिन प्रेमबाई फौत हो चुकी है। उउसके वैध वारिसानो का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे अकंन नही है इसलिये वाद मे पक्षकार नहीं बनायें गये है। वाद कारण दिनांक 28.05.2023 को प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 05 द्वारा राजस्व अभिलेख मे स्वयं के अकंन का. अनुचित लाभ उठाकर प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 05 वादीगण को विवादित भूमि ग्राम नारायणपुरा के उपयोग एवं उपभोग मे बाधा उत्पन्न करने तथा उक्त भूमि को अन्यत्र संक्रमित, व्यनित की धमकी देने पर ग्राम नारायणपुरा तहसील पीपल्दा मे वाद कारण उत्पन्न हुआ है।

अतः वादी द्वारा निम्न आशय का निर्णय व डिक्री पारित कराने का अनुतोष चाहा

(अ) ग्राम नारायणपुरा पटवार हल्का नोनेरा भू अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र गैंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० के माल मे खसरा संख्या 10 रकबा 0.41 हैक्टेयर बरानी तृतीय, खसरा संख्या 113 रकबा 0.25 हैक्टेयर बरानी तृतीय, खसरा संख्या 13 रकबा 0. 52 हैक्टेयर बारानी, खसरा संख्या 180 रकबा 0.03 हैक्टेयर माल दितीय, खसरा संख्या 183 रकवा 0.12 हैक्टेयर माल दितीय, खसरा संख्या 252 रकबा 0.38 हैक्टेयर बारानी तृतीय, खसरा संख्या 253 रकबा 2.38 हैक्टेयर बारानी तृतीय, खसरा संख्या 267 रकवा 0.28 हैक्टेयर बारानी तृतीय, खसरा संख्या 269 रकबा 0.49 हैक्टेयर बारानी तृतीय, खसरा संख्या 293 रकबा 2.40 हैक्टेयर बारानी तृतीय, खसरा संख्या 334 रकवा 0.16 हैक्टेयर बारानी दितीय, खसरा संख्या 335 रकबा 0.18 हैक्टेयर बारानी दितीय, खसरा संख्या 338 रकवा 0.75 हैक्टेयर बारानी दितीय, खसरा संख्या 339 रकवा 0.98 हैक्टेयर बारानी दितीय, खसरा संख्या 361 रकबा 0.39 हैक्टेयर बारानी तृतीय, खसरा संख्या 4 रकबा 0.35 हैक्टेयर, कुल किता 16 कुल रकबा 10. 07 हैक्टेयर भूमि मे प्रतिवादीगण 01 लगायत 03 का नाम खाते से विलोपित किया जावें और प्रतिवादी क्रम 04 व 05 को कब्जे के अभाव मे खातेदारी अधिकार समाप्त कर वादीगण के पक्ष मे खातेदारी अधिकारो की घोषणा की जावें और प्रतिवादी क्रम 04 व 05 के राजस्व रिकॉर्ड के अकंन को निरस्त किया जावें और उनके स्थान पर

वादीगण का नाम दर्ज अकिंत किया जावें। वादीगण का राजस्व रिकॉर्ड मे 1/2 हिस्सा दर्ज अकिंत किया जावें।

(ब) प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 05 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से निषेधित किया जावें कि वह स्वयं अथवा जरिये प्रतिनिधि से विवादित भूमि मे वादीगण के नियत हिस्से का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त मे किसी प्रकार की बाधा व व्यवधान उत्पन्न नही करें।

(स) वाद राजस्व अभिलेख में हो रहै अकंन के आधार पर प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 05 को विवादित भूमि को अन्यत्र संक्रमित करने में सफल हो जाये तो अन्य संक्रमण को वादीगण के हितो के विरूद्ध शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जावें।

वादी की ओर से वाद श्री हरिमोहन मीणा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी अधिवक्ता की ओर से साक्ष्यवादी शपथ पत्र पी0डब्ल्यू 1 शंकरलाल ने अपने समर्थन में जमाबंदी ग्राम नारायणपुरा खाता सं0 नया 52 पुराना 48 किता 16 कुल रकबा 10.07है0 सम्वत 2076(वर्ष 2019) पदर्श–पी 1, नजरी नक्शा ट्रेस प्रदर्श–पी 2, पेश किए, पी0डब्ल्यू 2 बुद्धिप्रकाश, पी0डब्ल्यू0 3 कन्हैयालाल द्वारा पेश किए गए। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व बहस के कथनों का अवलोकन व मनन करने पर पाया कि प्रतिवादी क्रम 4 व 5 के पिता श्री बद्रीलाल ग्राम डोरली में अपनी बुआजी कान्ही बाई के गोद जाने के बारे में कोई प्रमाण/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। प्रतिवादी की अनुपस्थिति में वादी के केवल मौखिक साक्ष्यों के आधार पर राजस्व अभिलेख परिवर्तित नहीं किया जा सकता। दूसरा गोद जाने संबंधी कोई साक्ष्य पत्रावली में विद्यमान नहीं है। जिसके आधार पर प्रतिवादी क्रम 4 व 5 का नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जा सके। प्रकरण में वादीगण अपना वाद सिद्ध नहीं कर पाए अतः वादीगण का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
70/2023	04/07/2023	15/09/2025

1. शकरलाल पुत्र केदारलाल जाति मीना निवासी नारायणपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज
2. शोभागमल पुत्र केदारलाल जाति मीना निवासी नारायणपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०

वादीगण

बनाम

1. जानकीबाई पत्नि स्व. केदारलाल जाति मीना निवासी नारायणपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज
2. बद्रीबाई उर्फ केदारीबाई पुत्री जगन्नाथ पत्नि रामप्रताप जाति मीना निवासी नारायणपुरा हाल मुकाम विनायका पोस्ट विनायका तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
3. सुरजाबाई पुत्री जगन्नाथ पत्नि प्रेमचन्द जाति मीना निवासी नारायणपुरा हाल मुकाम लुहावद पोस्ट लुहावद तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
4. महावीर पुत्र बद्री जाति मीना निवासी नारायणपुरा हाल मुकाम डोरली पोस्ट विनायका तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
5. हेमराज पुत्र बद्री जाति मीना निवासी नारायणपुरा हाले मुकाम डोरली पोस्ट विनायका तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
6. रामप्रसाद पुत्र बिरधीलाल जाति मीना निवासी नारायणपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
7. कस्तुरीबाई पुत्री बिरधीलाल जाति मीना निवासी नारायणपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
8. सीताबाई पुत्री बिरधीलाल पत्नि हेमराज जाति मीना निवासी बोरदा पोस्ट बोरदा तहसील मांगरोल जिला बांरा राज०
9. चन्द्रकला पत्नि नन्दकिशोर जाति मीना जाति मीना निवासी नारायणपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
10. महावीर पुत्र नन्दकिशोर जाति मीना जाति मीना निवासी नारायणपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०

प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 88,89,91,92,188 आर0टी0एक्ट

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री हरिमोहन मीणा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू..... मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 15.09.2025 को जारी किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुददई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे

स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा